केंद्र बनाम दिल्ली: प्रशासनिक सेवा विवाद

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र :** केंद्र

प्रसंग

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के मध्य प्रशासनिक सेवा विवाद मामले की सुनवाई के लिए पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के गठन की स्वीकृति प्रदान की है।
- विदित है कि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ से दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- छह मई को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में प्रशानिक सेवाओं के नियंत्रण से संबद्ध मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष प्रेषित किया था।
- संविधान पीठ ने प्रशानिक सेवाओं पर नियंत्रण के सीमित मुद्दे के स्थान पर केवल कानूनी प्रश्नों पर विस्तार से सुनवाई की थी।
- पीठ ने मामले में उल्लिखित किया कि जो सीमित मुद्दा भेजा गया है, वह 'सेवाओं' शब्द के संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित है।
- संविधान के अनुच्छेद 239एए(3)(ए) की व्याख्या की, किन्तु उसकी राज्य सूची के शब्दों के प्रभाव की व्याख्या नहीं की।

239एए का उप-अनुच्छेद 3 (ए)

यह दिल्ली के दर्जे और शक्तियों के अलावा राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों पर कानून बनाने के दिल्ली विधानसभा के अधिकार से संबंधित है।

याचिकाकर्ता, संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा और पक्ष

- न्यायालय ने आधिकारिक घोषणा के लिए उपरोक्त सीमित मुद्दे को एक संविधान पीठ के समक्ष प्रेषित किया
- न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास प्रेषित करने की मांग की थी, जिसका दिल्ली सरकार ने प्रतिरोध किया था।
- शीर्ष अदालत ने 28 अप्रैल को इस संदर्भ में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
- केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण और संशोधित जीएनसीटीडी अधिनियम, 2021 व कार्य बंटवारे के नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई की मांग की थी, जो कथित तौर पर उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देते हैं।
- केंद्र सरकार की दलील थी कि दोनों ही मामले प्रथम दृष्टया एक-दूसरे से संबद्ध लगते हैं।
- वर्ष 2019 में दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर खंडित फैसला दिया था। साथ ही, इस मामले को तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष भेजने का तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश से आग्रह किया था।
- ज्ञातव्य है कि इससे पहले, 2018 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने निर्णय में सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की 'सहायता और सलाह' से बंधे हुए हैं और दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

न्यायालय के समक्ष दो विधिक मुद्दे

- पहला फरवरी 2019 में दो-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दिए गए एक संदर्भ से उत्पन्न होता है, जिसने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों के वितरण पर निर्णय लेते हुए, इस प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ दिया गया था कि प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा।
- पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार की वह याचिका भी लंबित है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में "सरकार" शब्द का अर्थ उपराज्यपाल (एलजी) होगा।

- ध्यातव्य है कि वर्तमान कार्यवाही की उत्पत्ति 4 अगस्त, 2017 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से हुई थी, जिसमें यह माना गया था कि दिल्ली के एनसीटी के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को मनाने हेतु बाध्य नहीं हैं।
- याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2017 को मामले को संविधान के अनुच्छेद 239AA की व्याख्या पर निर्णय लेने के लिए संदर्भित किया।

संविधान का अनुच्छेद 239AA

- दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग पर विचार करने के लिए गठित एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 एए का प्रावधान किया गया था।
- इसमें उल्लिखित है कि दिल्ली के एनसीटी में एक प्रशासक और एक विधानसभा होगी। दिल्ली के एनसीटी में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण में आती है, जिसके पास इन मामलों पर कानून बनाने की शक्ति होगी।
- राज्य सूची या समवर्ती सूची के शेष मामलों के लिए, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र-शासित प्रदेशों पर लागू होता है, विधान सभा के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। इसमें कहा गया है कि कानून-व्यवस्था एलजी के पास है।
- अनुच्छेद की धारा 4 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एनसीटी सरकार की मंत्रिपरिषद एलजी को उन क्षेत्रों के संबंध में अपने कार्यों के अभ्यास में "सहायता और सलाह" देगी, जहां विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है।
- इसमें उलिखित है कि एलजी अपने विवेक का उपयोग किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत आवश्यक होने पर कर सकते हैं और यदि किसी मामले पर मंत्रिपरिषद के साथ मतभेद होता है, तो उपराज्यपाल को निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित करना होगा और राष्ट्रपति द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उसके अनुसार कार्य करना होगा।

अनुच्छेद 239एए की व्याख्या तक सीमित

- पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्वयं को अनुच्छेद 239एए की व्याख्या तक सीमित कर दिया और व्यक्तिगत मुद्दों को नियमित पीठों द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया।

- 4 जुलाई, 2018 को बहुमत के फैसले से बेंच ने राज्य विधानसभा और संसद की संबंधित शक्तियों को बरकरार रखा। इसमें कहा कि जबकि मंत्रिपरिषद को एलजी को सभी निर्णयों के संदर्भ में सूचित करना होगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि एलजी की सहमति की आवश्यकता है।
- मतभेद की स्थिति में, एलजी इसे निर्णय के लिए भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रेषित कर सकता हैं। एलजी के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। यह या तो मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करेगा अथवा किसी संदर्भ पर राष्ट्रपति के निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य होगा।

वर्ष 2019 का निर्णय

- वर्ष 2019 में न्यायमूर्ति एके सीकरी और अशोक भूषण की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त करने को लेकर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा की शक्ति के संबंध में सत्ता संघर्ष से उत्पन्न कुछ व्यक्तिगत मुद्दों की सुनवाई की ।
- दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सहमति व्यक्त की कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं कर सकती है और जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग नियुक्त करने की शक्ति केंद्र के पास होगी, न कि दिल्ली सरकार के पास।
- खंडपीठ ने 23 जुलाई, 2014 और 21 मई, 2015 को केंद्र द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं को बरकरार रखा, जिसमें दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के अधिकार क्षेत्र को केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने और इसे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों तक सीमित करने का निर्णय लिया गया था।

प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर मतभेद

- न्यायमूर्ति सीकरी का विचार था कि "भारत सरकार और उससे ऊपर के संयुक्त सचिव के वेतनमान में सचिवों, विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग उपराज्यपाल द्वारा की जा सकती है और फाइल सीधे उन्हें सौंपी जा सकती है।

- इसी के साथ ही "अन्य के लिए" DANICS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा) के अधिकारियों सहित स्तर फाइलों को मुख्यमंत्री के माध्यम से एलजी को भेजा जा सकता है।
- न्यायमूर्ति भूषण का मत था कि सेवाओं पर अधिकार केवल केंद्र के पास है। सेवाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 दिल्ली विधानसभा के लिए उपलब्ध नहीं है। फलतः जीएनसीटीडी द्वारा 'सेवाओं' के संबंध में किसी भी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए अन्य मामले

- दिल्ली सरकार ने गत वर्ष शीर्ष न्यायालय में 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम' की चार संशोधित धाराओं और 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार के लेन-देन के नियम 1993 के 13 नियमों को निरस्त करने की मांग की थी।
- केंद्र सरकार ने इन संशोधनों को गत वर्ष मार्च और जुलाई में प्रस्तुत किया था।
- दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि संशोधनों ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन किया और केंद्र ने इन परिवर्तनों के माध्यम से दिल्ली के लोगों की निर्वाचित सरकार की तुलना में उपराज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान की।

मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार का पक्ष

- केंद्र ने तर्क दिया है कि दोनों न्यायाधीश इस सवाल पर निर्णय नहीं ले सकते हैं कि जुलाई 2018 के अपने फैसले में संविधान पीठ के रूप में सेवाओं को कौन नियंत्रित करता है।
- अनुच्छेद 239AA में केंद्र-शासित प्रदेशों पर लागू होने वाले किसी भी मामले के रूप में अभिव्यक्ति की व्याख्या नहीं है।
- फलतः इसे पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए, जो पहले विधिक प्रश्नों का निपटारा करेगी, जिसके बाद ही सेवाओं पर नियंत्रण रखने वाले विवाद पर विचार किया जा सकता है।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस